फर्द अहकाम
(नियम 26)
फर्द अहकाम
अज अदालत मुकाम .जिला कलक्टर,भरतपुर

पूरनमल बनाम सरकार

किस्म मुकदमा– मुन्त0 प्रार्थना पत्र नम्बर 38 सन 2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.8.23 | प्रार्थी पूरनमल पुत्र श्री साधूराम जाति मीना निवासी– ग्रांम झारोटी तहसील भुसावर जिला भरतपुर ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि एक रेफरेन्स सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर बनाम पूरनमल न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर भरतपुर में विचाराधीन है। मुकेश चन्द मीना द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी ए.डी.एम. न्यायालय में दिनांक 30.6.23 को पेश किया गया है। प्रार्थी मय अपने अभिभाषक दिनांक 4.8.2023 को न्यायालय ए.डी.एम. भरतपुर के यहॉ उपस्थित हुआ था। मुकेश द्वारा ग्रांम में खुलेआम धमकी दी कि प्रार्थी ने रेफरेन्स पक्षकार बनने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है मेरी एप्रोच अति0 जिला कलेक्टर से हो गई है हर हाल में रेफरेन्स स्वीकार होकर रहेगा। मुकेश मीना की धमकी से प्रार्थी भयभीत है इसलिए रेफरेन्स की सुनवाई अति. जिला कलेक्टर भरतपुर से न की जाकर स्वयं के न्यायालय में मंगवाकर विधिवत सुनवाई किये जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।<br><br>प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की शंका का मध्य नजर रखते हुये न्यायहित में अति0जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण रेफरेन्स सरकार बनाम पूरनमल को न्यायालय जिला कलेक्टर भरतपुर में स्थानान्तरित किया जाता है। आदेशिका की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर,भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।<br><br>जिला कलक्टर<br>भरतपुर (राज0) | |